न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज
स्तत्व वाद सं0:–192/2013

CIS NO. TS-504/2018

मृतक उमरावती देवी के विधिक वारिसान एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

अनिल कुमार मिश्र एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
26.05.2023	उभय पक्षों की ओर से कोई पैरवी नही है। आज अभिलेख वादीगण की ओर से दिये गये आवेदन दिनांक 22.07.2022 संबंधित आदेश 13 नियम 01 एवं 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत दाखिल आवेदन के आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** वादीगण की ओर से अपने आवेदन दिनांक 22.07.2022 में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद वादीगण के द्वारा वादपत्र में वर्णित एराजी मद न0–03 पर हकियत की घोषणा एवं दखल कब्जें की सम्पूष्टि के साथ प्रतिवादी द्वितीय पक्ष द्वारा प्रतिवादी प्रथम पक्ष के पक्ष में तहरीर बयनामा दस्तावेज दिनांक 21.03.2013 को नाजायज एवं शुन्य घोषित करने वास्ते लाया गया है। प्रस्तुत वाद में वादीगण की ओर से साक्ष्य चल रहा है। वादीगण को जो भी मौखिक साक्ष्य देना था। उसे वादीगण द्वारा दिया जा चूका है। साक्ष्य के कम में ही वादीगण के अधिवक्ता के द्वारा अभिलेख का अवलोकन करने से ज्ञात हुआ कि जिस बयनामा दस्तावेज को वादीगण द्वारा नाजायज घोषित करने की प्रार्थना की गयी है। उस कथित बयनामा की छायाप्रति ही वादीगण द्वारा दाखिल किया गया है तथा सच्ची प्रतिलिपि वादीगण के पास रह गया है। वादीगण के द्वारा जानबुझकर गलती नही की गयी है। वादीगण की ओर से उक्त चार किता बयनामा दस्तावेज स्वीकार नही किया जाता है तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी तथा वादीगण न्याय पाने से वंचित रह जायेगें। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि वादीगण द्वारा दाखिल चार किता बयनामा दस्तावेज स्वीकार करने की कृपा करें। प्रतिवादीगण की ओर से वादीगण के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया तथा कहा गया कि वादीगण का आवेदन खारिज किया जाय। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित	

न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज
स्तत्व वाद सं0:–192/2013
CIS NO. TS-504/2018

लगातार 26.05.2023	होता है अभिलेख अभी वादी साक्ष्य हेतु नियत है। विधि का सुस्थापित नियम है कि वाद का निपटारा सभी आवश्यक साक्ष्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। जिससे वाद की बहुलता को रोका जा सके। वादीगण के द्वारा दाखिल दस्तावेज विलंभ से दाखिल किये गये है। अतः विलंभ माफ करते हुए मो0–1000/– रूपये हर्जे पर आवेदन स्वीकार किया जाता है। पीठ लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि प्रस्तुत दस्तावेज अभिलेख पर रखें। आगामी दिनांक 12.06.2023 वास्ते वादी साक्ष्य हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	